Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चित्तौडगढ़ में सरपंच को 6 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *31 मई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज सोमवार को चित्तौडगढ़ में कार्यवाही करते हुये ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़, पं.स. निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ के सरपंच विष्णु मीणा को 6 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि ग्राम पंचायत में किये गये सफाई कार्य के बिल पास करने की एवज में सरपंच ग्राम पंचायत नरसिंहगढ विष्णु मीणा द्वारा 6 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री हेरम्ब जोशी** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये विष्णु मीण पुत्र श्री श्यामलाल निवासी ग्राम कदमाली, जिला चित्तौडगढ़ हाल सरपंच ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़, पं.स. निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ को परिवादी से **6 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।